



2026:AHC-LKO:8216-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

सिविल विविध पुनरीक्षण आवेदन दोषपूर्ण संख्या - 27 सन 2026

राकेश कुमार

..... आवेदक(ओं)

बनाम

भारत संघ द्वारा सचिव भारत सरकार रक्षा मंत्रालय
नई दिल्ली एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	अशोक सिंह, प्रमोद कुमार
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय
माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

(आईए/1/2026 पर आदेश; विलंब की माफी हेतु आवेदन)

1. मामले की सुनवाई के लिए पुकार लगायी गई।
2. पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने में हुये विलंब की माफी के लिए आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. यद्यपि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पारित निर्णय के पुनरीक्षण के लिए दायर पुनरीक्षण कार्यवाही पर परिसीमा अधिनियम, 1963 पूर्णतः लागू नहीं होता, जैसा कि **श्रीमती मोहम्मद जहाँ बेगम और अन्य (एम/एस 349/2007) बनाम उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, इलाहाबाद और अन्य** के मामले में एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा **पुनरीक्षण याचिका संख्या 329/2010 दिनांक 23.09.2016** को दिए गए निर्णय में कहा गया है, फिर भी, विलंब एक ऐसा कारक है जिस पर विचार किया जाना चाहिए और जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। पुनरीक्षण आवेदन दाखिल करने में 20.01.2026 तक 354 दिनों का विलंब हो चुका है, इसके अलावा, इस आवेदन पर जोर देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है, इसलिए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विलंब माफी हेतु आवेदन कार्यवाही के अभाव में खारिज किया जाता है, फलस्वरूप, पुनरीक्षण आवेदन भी अस्वीकृत माना जाता है।

[न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फरवरी 3, 2026

-पीयूष-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।